कार्यालय जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक / डीएटीसी / 2020 / 71

श्योपुर, दिनांक 17/02/2020

/ / बोट क्लब / रेस्टोरेन्ट किराये पर देने हेतु नीलामी सूचना / /

एतद् द्वारा समस्त कैफेटेरिया / होटल / रेस्टोरेन्ट / रिसोर्ट / वोटिंग संचालकों, व्यवसायिओं तथा अन्य इच्छुक योग्य व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद श्योपुर द्वारा पर्यटन स्थल बंजारा डैम स्थित बोट क्लब / रेस्टोरेन्ट का 10 वर्ष की अवधि के संचालन हेतु प्रतिमाह किराये पर दिये जाने हेतु नीलामी की जा रही है। विज्ञप्ति एवं शर्तें sheopur.nic.in पर देखी जा सकती है। दिनांक 17.03.2020 को सायः 05:00 बजे तक इच्छुक व्यक्ति 50,000 / – रूपये की डी.डी. एफडीआर के रूप में **"अध्यक्ष जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद श्योपुर"** के नाम से जमा कर दिनांक 19.03.2020 को दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक बोली में भाग ले सकते है।

आवश्यक शर्तें:–

1. बोट क्लब / रेस्टोरेन्ट संचालन हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 05.00 लाख रूपये जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद श्योपुर के नाम जमा कराना होगी जो 10 वर्ष 6 माह बाद ब्याज रहित वापिस किये जाऐंगे। न्यूनतम मासिक किराया रूपये 50,000 / – होगा और तीन माह का किराया अग्रिम जमा कराना होगा।
2. किराये की राशि त्रेमासिक जमा की जाना होगी। त्रेमास के प्रथम सप्ताह में किराया जमा करना होगा, किराये की राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। नियत समयावधि में किराया जमा न करने की दशा में बकाया राशि पर बिलम्ब अवधि में 24 प्रतिशत ब्याज देय होगा। बिलम्ब 60 दिवस से अधिक होने पर सात दिवस का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
3. बोट क्लब / रेस्टोरेन्ट की मरम्मत, संधारण DATC पूर्व अनुमति से आवश्यकतानुसार निर्माण, साज–सज्जा, पेड़ पौधे का रोपण आदि कार्य किया जा सकेगा, जिस पर हुआ स्वयं वहन करना होगा। परिसर में मांगलिक कार्य जैसे कथा / भागवत या 200 व्यक्तियों तक की पार्टी की जा सकेगी इससे अधिक की पार्टी आदि करने से पूर्व DATC से अनुमति लेनी होगी। जो शुल्क देने पर देय होगी।
4. बोट क्लब / रेस्टोरेन्ट में आर्ट गेलरी, चिल्ड्रन जोन, आईसक्रीम पार्लर, चाट कॉर्नर बनाने की अनुमति होगी। उस परिसर में विज्ञापन, सोवीनियर शॉप, ए.टी.एम., डिजिटल टूरिस्ट प्लेस डिसप्ले लगाने का अधिकार DATC को होगा।
5. रिसोर्ट परिसर का DATC को निःशुल्क उपयोग करने का अधिकार होगा किन्तु वर्ष भर में उनकी संख्या छह से अधिक बार नहीं रहेगी। बोटिंग क्लब पर DATC के निर्देशानुसार बोटिंग भी करानी होगी पर एक माह में इसकी संख्या 50 व्यक्तियों तक सीमित रहेगी।
6. विद्धुत व्यय एवं अन्य सभी प्रकार के टेक्स स्वयं सफल बोलीदार को अदा करना होगा। रिसोर्ट में आवश्यकतानुसार बाउंड्री/फेंसिंग/फर्नीचर/सजावट आदि सफल निविदाकार को करनी होगी जो किराया अवधि के बाद DATC की होगी।
7. सुरक्षा के लिये प्रायवेट सिक्योरिटी में बर्दीधारी गार्ड रखना होंगे तथा सी.सी.टी.व्ही. केमरे स्थापित कराना होंगे।

8. सम्पूर्ण ऐरिया पॉलिथिन मुक्त रखना होगा, खान पान पार्सल व्यवस्था हेतु पॉलिथिन मुक्त संसाधनों का उपयोग करना होगा।

9. बोट क्लब/रेस्टोरेन्ट का स्टाफ ट्रेंड होगा, वर्दी में रहेगा, सैफ एवं वेटर ग्लब्स का उपयोग करेंगे तथा सभी का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता या ग्राहकों से दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर DATC कभी भी किसी भी कर्मचारी का पृथक करने का आदेश दे सकती है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।

10. सामग्री विक्रय की रसीद संधारित की जावेगी सभी टेक्स अदा करने होंगे, कैश लेश ट्रांजेक्शन सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

11. विक्रय होने वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं की विक्रय सूची दर बडे अक्षरों में प्रदर्शित करनी होगी।

12. साफ–सफाई नियम अनुसार कराना होगी कचरे के निपटान के लिये नगर पालिका श्योपुर द्वारा चिन्हित स्थान पर कचरा भेजने की व्यवस्था करनी होगी।

13. जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद श्योपुर की अनुमति से सफल बोलीदार कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्टी हॉल आदि अस्थाई रूप से बना सकेगा। अनुमति से कल्चरल ईवेन्ट भी आयोजित कर सकेगा।

14. निविदा में भाग लेने हेतु रूपये 50,000/– की डी.डी **"अध्यक्ष जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद श्योपुर"** के नाम से जमा कराना होगी। बोली स्वीकृति पश्चात अनुबंध निष्पादित करना होगा।

15. बोटिंग हेतु, मोटर बोट, पैडल बोट आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ट्रेंड बोटमेन, लाईफ जैकेट एवं बोटिंग के अन्य सभी सुरक्षा मापदण्ड पूरे करने होंगे। बोट क्लब एवं नदी की साफ–सफाई रखनी होगी। बोटिंग संचालन के समस्त उत्तरदायित्व सफल निविदाकार ही होगा।

16. समस्त विवाद उभय पक्ष बैठकर सुलझाऐंगे परंतु विवाद की स्थिति में कलेक्टर श्योपुर का निर्णय अंतिम होगा।

(कलेक्टर/अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

(रूपेश उपाध्याय)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्योपुर एवं
नोडल अधिकारी
जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद
श्योपुर म.प्र.

पृ.क्रमांक/डीएटीसी/2020/ 72
श्योपुर, दिनांक 17/02/2020

प्रतिलिपिः–

1. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला श्योपुर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
2. जिला सूचना अधिकारी, जिला श्योपुर की ओर जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्योपुर एवं
नोडल अधिकारी
जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद
श्योपुर म.प्र.